UPRB010040692026

न्यायालय प्रथम अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।

पीठासीन अधिकारी–श्री अनिल कुमार पंचम, (उ0प्र0 उच्चतर न्यायिक सेवा)– UP6045

प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–1753/26

1– इस्तियाक अली पुत्र मोहम्मद हफीज निवासी जम्मी कला लक्ष्मणपुर थाना गैसडी जिला बलरामपुर हाल पता धर्मेन्द्रे सिंह का मकान सगूधाम संतपुरम थाना इंदिरानगर लखनऊ।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र० सरकार द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), रायबरेली।

..... अभियोगी

मुकदमा अपराध संख्या–500/2023
धारा–379, 411 आई०पी०सी०
थाना–बछरावाँ, जिला रायबरेली।

दिनांक–15.07.2026

प्रार्थी/अभियुक्त **इस्तियाक अली** की ओर से यह जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र अन्तर्गत मुकदमा अपराध संख्या–500/2023 धारा–379, 411 आई०पी०सी० थाना–बछरावाँ, जिला रायबरेली के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियोजन कथानक संक्षिप्तः इस प्रकार है कि, घटना दिनांक 31/7/2023 की समय सुबह 5.15 बजे की स्थान भवरेश्वर मन्दिर परिसर रामपुर सुदौली थाना बछरावां जनपद रायबरेली की है जब प्राथर्थी दर्शन हेतु मन्दिर गया था तथा मन्दिर के बगल में स्थित फूल पाती की दुकान के पास अपनी मोटर साइकिल UP 32GV 6056 खड़ी कर मन्दिर में दर्शन हेतु गया, दर्शन कर वापस आने पर प्रार्थी की उक्त मोटरसाइकिल गायब थी जिसके किसी अज्ञात के द्वारा चोरी कर उठा ले जाया गया। काफी खोजवीन करने पर भी मोटर साइकिल का कुछ भी पता नहीं चल सका है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र संक्षिप्तः इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि, प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कोई भी अपराध कारित नहीं किया गया है, बल्कि वह न्याय का पालन करने वाला सीधा–साधा व्यक्ति है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त नामजद नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादी नागेन्द्र पाल की मोटर साइकिल भवरेशवर मंदिर परिसर सुदौली थाना बछरावाँ रायबरेली के बाहर खड़ी

थी सबह चोरी हो गयी। प्रार्थी/अभियुक्त के पाल किसी भी प्रकार की कोई भी अवैध बरामदगी नहीं हुयी है। प्रार्थी/अभियुक्त के पास के थाना बछरावाँ जिला रायबरेली की पुलिस द्वारा कथित रूप से चोरी की मोटर साइकिल की बरामदगी फर्जी रूप से अंकित दर्शायी गयी है। घटना का कोई भी स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त एक गरीब व्यक्ति है एवं मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का जीवनयापन करता है। प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष होने के बावजूद दिनांक 17.10.2025 से जिला कारागार में निरुद्ध है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुशरण से यह प्रतीत होता है कि पुलिस द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त को मात्र अपनी गरिमा व पदोन्नति के लिए फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त माननीय न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार अपनी जमानत देने को तैयार है। प्रार्थी/अभियुक्त जमानत पर छूटने के पश्चात न तो भागेगा एवं न ही अभियोजन साक्ष्यों को नष्ट करने का प्रयास करेगा। प्रार्थी/अभियुक्त के उक्त वाद में प्रार्थी/अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है इसके अतिरिक्त अन्य न्यायालय में कोई जमानत प्रार्थनापत्र विचाराधीन नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त का उक्त मुकदमा आ० संख्या 500/2022 में जमानत प्रार्थनापत्र माननीय न्यायालय सी०जे०एम० रायबरेली के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, किन्त माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 13.05.2026 को उक्त जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया था। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

अभियोजन द्वारा उक्त तर्क का विरोध करते हुए यह बहस की गई कि विवेचना के क्रम में अभियुक्त का नाम दौरान विवेचना प्रकाश में आया है तथा चोरी की गयी सम्पत्ति अभियुक्त से बरामद हुयी है। पुलिस द्वारा कड़ायी से पूछने पर अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया है। अभियुक्त के कब्जे से चोरी का माल मिला है। यदि अभियुक्त को जमानत दी गई तो वह जमानत की शर्तों का दुरुपयोग करेगा। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाए।

मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्कों को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

पत्रावली का परिशीलन किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट/वादी मुकदमा द्वारा अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज करायी गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट वादी मुकदमा की मोटर साइकिल संख्या UP32GV6056 के चोरी हो जाने के सम्बंध में दर्ज करायी गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है। प्रार्थी/अभयुक्त को कथित गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर प्रस्तुत प्रकरण में दौरान विवेचना नामित किया गया है। कथित बरामदगी/गिरफ्तारी का कोई स्वतंत्र साक्षी संदर्भित नहीं है। अभियुक्त दिनांक 17.10.2025 से जिला कारागार में निरुद्ध है। उक्त प्रकरण में विवेचना प्रचलित है। अतः मामले के गुण दोष पर कोई विचार व्यक्त किये बिना मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति व अभियुक्त की भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए आधार जमानत पर्याप्त है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **इस्तियाक अली** की ओर से यह जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र अन्तर्गत मुकदमा अपराध संख्या–500/2023 धारा–379,411 आई०पी०सी० थाना–बछरावाँ, जिला रायबरेली के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र **स्वीकार** किया जाता है।

प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त अपराध में **पचास हजार रूपये** का निजी बन्धपत्र एवं उसी धनराशि की एक जमानत और अधोलिखित शर्तों का अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

1– वह अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा व गवाहों को डरायेगा, धमकायेगा नहीं।

2–जमानत पर रिहा होने के उपरान्त किसी अपराधिक गतिविधियों में या अन्य अपराध कारित करने में सम्मिलित नहीं होगा।

3–वह मुकदमें के शीघ्र निस्तारण में सहयोग करेगा और साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर जब साक्षीगण न्यायालय उपस्थित हो, स्थगन नहीं लेगा।

4–वह अभियोजन द्वारा अभियोजन प्रारम्भ करने की तिथि पर, आरोप विरचित किये जाने की तिथि पर तथा धारा 313 दं०प्र०सं० का बयान अभिलिखित किये जाने की तिथि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा तथा न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से या जरिये अधिवक्ता उपस्थित रहेगा।

(अनिल कुमार पंचम)
प्रथम अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
रायबरेली।

Mohit kumar
(Stenographer)

Digitally signed by ANIL KUMAR
Date: 2026.07.15 14:44:09 IST
Reason: Order
Location: District and Sessions Court, Raebareli